



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222012
CG-DL-E-26092020-222012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2958]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 2958]

NEW DELHI FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3310(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 210 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 210 क के अधीन गुणक को विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार में ली जीने वाली शर्तों को अधिकथित करती है अर्थात् :-

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों, द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंध, किए गए अपराधों, उद्गृहीत जुर्माने और शास्तियों से संबंधित डाटा; या
2. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद या राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा या स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर दी गई सलाह; या
3. कोई अन्य कारक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

[फा. सं. आर टी -11036/65/2019-एम वी एल (भाग 2)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3310(E).—In exercise of the powers conferred by section 210A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby laid down the conditions to be taken into consideration by the State Government for the purposes of specifying a multiplier under Section 210A, namely: -

1. Data collected by the Central Government or State Government or agencies authorised by the Central Government or State Government, pertaining to road safety, traffic management, offences committed, fines and penalties levied; or
2. Advice rendered by National Road Safety Board, National Road Safety Council or State Road Safety Council, either suo moto or on reference made by the Central Government or State Government; or
3. Any other factor as may be specified by the Central Government.

[F. No. RT-11036/65/2019-MVL (Part 2)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.